न्यायालय मध्यस्थ (जिला कलक्टर), राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, बांसवाड़ा (राज.)
पीठासीन अधिकारी – भगवती प्रसाद, IAS

जिला कलक्टर, बांसवाड़ा
प्रकरण संख्या : 40/2017
RCMS Case Reg. 2017/00048

प्रार्थी/अपीलार्थी :–

श्रीमती निलु पटियात पत्नी श्री शैलेष पटियात, उम्र 48 वर्ष, जाति नेमा महाजन, निवासी माही सरोवर नगर, बॉसवाडा तहसील व जिला बांसवाडा (राज.)

बनाम

अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–

1. भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाड़ा।
2. तहसीलदार, तहसील बांसवाड़ा।
3. सक्षम प्राधिकारी (भूमि आवाप्ति) एवं उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3(जी) (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 सपठित धारा 26, 28, 29 व 30 Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 प्रतिकर की राशि के विनिर्धारण हेतु

उपस्थित : 1– श्री भूपेन्द्र जैन,
–अधिवक्तागण, –प्रार्थी पक्ष
2– श्री योगेश सोमपुरा, –अधिवक्ता विपक्षीगण

निर्णय

दिनांक :– 17–05–2018

मामले के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि, प्रार्थीया के निजी स्वामित्व व आधिपत्य के दो आवासीय भूखण्ड, भूखण्ड संख्या ए जिसका क्षेत्रफल 4418 वर्गफीट व भूखण्ड संख्या बी जिसका क्षैत्रफल 4133 वर्गफीट इस प्रकार दोनो भूखण्डो का कुल क्षेत्रफल 8551 वर्गफीट वाके बडगॉव ''बी'' क्षैत्र मे. स्थित है तथा उक्त भूखण्ड आबादीशुदा आराजी सर्वे नं. 702 का एक भाग है तथा प्रार्थीया उक्त आबादीशुदा भूखण्डो पर क्रय दिनांक से काबिज है। राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड मे आने वाली भूमि को अवाप्त की जाने की अधिसूचना से 212 (अ) नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार मे प्रकाशित हुई थी जिसमे बडगांव के आराजी सर्वे नं. 702 की भूमि को अवाप्त की जाने की अधिसूचना प्रकाशित हुई है। गांव बडगांव का आराजी सर्वे नं. 702 को गोतम पिता श्री होमला कटारा जाति भील निवासी जानावारी ने कृषि से आवासीय

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

प्रयोजनार्थ कार्यालय विहित प्राधिकारी उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2011/8021–26 दिनांक 08.07.2011 के द्वारा आबादी में रूपान्तरित कराई है तथा गोतम ने उक्त आबादी भूमि को चार भूखण्ड, भूखण्ड संख्या ए, बी, सी व डी में विभक्त किया है तथा प्रार्थीया ने उक्त आबादी भूमि में से भूखण्ड संख्या ए व बी को गोतम पिता श्री होमला से कीमतन क्रय कर बहैसियत एकमात्र मालिक, स्वामी व अधिपति के काबिज होकर उपयोग, उपभोग करती चली आ रही है। केन्द्रीय सरकार की अधिसूचना के अन्तर्गत सर्वे नं. 702 में से 0.051 हैक्टेयर (लगभग 5000 वर्गफीट) भूमि ही अवाप्त होनी चाहिये थी। लेकिन नेशनल हाईवे के कर्मचारियो एवं अधिकारियो की मिलीभगत से उक्त सर्वे नम्बर से पूर्व नेशनल हाईवे के नक्शे में छेडखानी कर, हेराफेरी कर नेशनल हाईवे के रोड की दिशा को बदल कर उक्त सर्वे नम्बर पर पूरी तरह कब्जा कर रोड की दिशा को बदल दिया गया है। जिससे साफ प्रदर्शित होता है किसी ओर व्यक्ति को या व्यक्तियो को अनुचित लाभ देने हेतु नेशनल हाईवे के रोड गजट नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात भी उक्त रोड मेप को बदल कर, मोड कर अनुचित लाभ लेने या देने का प्रयास किया गया है। सर्वे नं. 702 में से प्रार्थीया के उक्त भूखण्ड संख्या ए व बी राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 113 प्रतापगढ से पाडी खण्ड किलोमीटर 80 से 180 तक में चले जाने के कारण उक्त भूमि का मुआवजा के लिये प्रार्थीया ने नियमानुसार आपत्ति उपखण्ड अधिकारी बांसवाडा के वहां प्रस्तुत की गई है उसके पश्चात तहसीलदार ने नियमानुसार मौके पर नेशनल हाईवे के डामरीकरण परिवर्तन होने से प्रार्थीया की 5500 वर्गफीट आबादी भूमि अवाप्त होना मानकर मुआवजा की गणना किया जाना बताया है। फिर भी अप्रार्थी नं. 3 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रस्तावित मुआवजा राशि के संबंध में जारी एवार्ड क्रमांक राजस्व/2016/60 दिनांक 18.03.2016 मे प्रार्थीया के भूखण्डो में से 2500 वर्गफीट भूमि की मुआवजा राशि रूपया 3,66,850/– अक्षरे तीन लाख छासठ हजार आठ सौ पचास रूपया मात्र निर्धारित की गई है, जो प्रतिकर की राशि की दर भी बाजार मूल्य से काफी अल्प राशि है। प्रार्थीया उक्त भूखण्डो की भूमि पर बहैसियत मालिक, स्वामी व अधिपति के काबिज है तथा अपनी भूमि का Arbitrator के द्वारा अवधारण (Adjudication) चाहती है। इस कारण मामले में अवधारण कराने का प्रार्थीया को कानूनन हक प्राप्त है। प्रार्थीया ने अधिसूचना संख्या 2112 (अ)/नई दिल्ली दिनांक 08.09.2012 को अखबार मे प्रकाशन के बाद अविलम्ब भूमि अवाप्ति अधिकारी एवं उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा के यहां आपत्ति भी दर्ज करा दी थी। उक्त आपत्ति को भी अवाप्ति अधिकारी ने ध्यान मे नही रखा है तथा बाद में कलम नं. 4 में बताये अनुसार मुआवजा राशि निर्धारित की है, जो गलत है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3(जी)(7) में अवाप्तशुदा भूमि के प्रतिकर निर्धारण हेतु स्पष्ट प्रावधान है। जिसमें भूमि के डी.एल.सी. मूल्य की दौ गुना राशि कर तथा उक्त दुगुनी राशि का 100 प्रतिशत तोषण (सोलेशियम) कर अवाप्ति से हुई क्षतियो को ध्यान में रख कर अवार्ड पारीत किया जाना आवश्यक है। परन्तु भूमि आवप्ति सक्षम अधिकारी एंव उपखण्ड अधिकारी द्वारा उक्त कानूनी प्रावधानों को नजरअंदाज करते हुए प्रश्नगत अवार्ड पारीत किया है। जो मनमाना, चंचल व अविधिपूर्ण होने से अपास्त किये जाने योग्य है। आबादीशुदा आराजी सर्वे नं.

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

702 में से प्रार्थीया के भूखण्डो की मात्र 2500 वर्गफीट भूमि का ही मुआवजा निर्धारित किया है। जबकि प्रार्थीया के भूखण्डो की भोश भूमि 6051 वर्गफीट भूमि अनुपयोगी हो गई है। अतः उक्त कुल भूमि की मालियत निर्धारित नही की गई है। वह उसका उपयोग–उपभोग नही कर पायेगी व उसे इस कारण नुकसान होगा। जिसे प्रार्थीया कानूनन पाने की अधिकारी है। वर्तमान में उक्त सर्वे नं. 702 की भूमि आवादी भूमि है तथा प्रार्थीया के भूखण्ड संख्या ए व बी का कुल क्षैत्रफल 8551 वर्गफीट आवादी भूमि है तथा उक्त भूमि का निर्धारण वर्तमान प्रचलित डी.एल.सी. दर का 2 गुना कर उक्त भूमि का मुआवजा रूपया 35,91,420/– अक्षरे पैंतीस लाख इक्याणवे हजार चार सौ बीस रूपया होता है तथा उक्त राशि का 100 प्रतिशत तोषण दिया जाना आवश्यक है तथा 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 35,91,420/– अक्षरे पैंतीस लाख इक्याणवे हजार चार सौ बीस रूपया होती है। इस प्रकार कुल रकम रूपया 71,82,840/– अक्षरे इकहत्तर लाख बयासी हजार आठ सौ चालीस रूपया एवं उक्त रकम पर अधिसूचना की तिथी से ताअदायगी 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज भी प्रार्थीया पाने की अधिकारी है।

अतः प्रार्थीया का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीया द्वारा उठाई गई उपरोक्त आपत्तियों को ध्यान में रखते हुए प्रार्थना–पत्र को धारा 3(जी)(5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम व धारा 26, 28, 29 व 30 त्पहीज जव थ्पत व्वउचमदेंजपवद दक ज्तंदेचंतमदबल पद स्दक ।वुनपेपजपवदए त्मींइपसपजंजपवद दक त्मेमजजसमउमदज ।बजए 2013 के प्रावधानों के अधिन प्रार्थीया के पक्ष में एवं प्रत्यर्थीगण के विरूद्व निम्न आशय का अवार्ड पारीत करावे कि :–

(क) यह कि, आराजी सर्वे नं. 702 में से प्रार्थीया के भूखण्ड संख्या ए व वी की कुल भूमि क्षैत्रफल 8551 वर्गफीट का प्रचलित वाजार मुल्य की 2 गुना की दर से रूपया 35,91,420/– अक्षरे पैंतीस लाख इक्याणवे हजार चार सौ बीस रूपया तथा उक्त रा ि। पर 100 प्रतिशत तोषण की राशि रूपया 35,91,420/– अक्षरे पैंतीस लाख इक्याणवे हजार चार सौ बीस रूपया इस प्रकार कुल रकम रूपया 71,82,840/– अक्षरे इकहत्तर लाख बयासी हजार आठ सौ चालीस रूपया या अन्य रकम जो वाजिव बनती है, वह मुआवजा दिलाया जावे व अन्य परिलाभ जो कानूनन प्रार्थीया पाने की अधिकारी है, वह भी दिलाया जावे।

(ख) यह कि, कुल राशि रूपया 71,82,840/– अक्षरे इकहत्तर लाख बयासी हजार आठ सौ चालीस रूपया पर नियमानुसार 18 प्रतिशत वार्षिक की दर से ब्याज ताअदायगी दिलाया जावे।

(ग) यह कि, इस मामले का व्यय व पारिश्रमिक अभिभाषक प्रार्थीया को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।

(घ) यह कि, अन्य अनुतोष जो न्यायहित में आवश्यक हो प्रार्थीया को प्रत्यर्थीगण से दिलाया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये समन तलव किया गया।

अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से प्रस्तुत जवाब के अनुसार प्रकरण में राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई है, जिसकी नियमानुसार अधिनियम की धारा 3 (C) के तहत आपत्तियां आमन्त्रण के पश्चात प्राप्त आपत्तियों का निस्तारण करते हुए अधिनियम की धारा 3 (D) की अधिसूचना भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई। मामले में नियमानुसार अधिनियम की धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3 (क) की अधिसूचना के प्रकाशन की दिनांक 08–09–2012 को प्रचलित बाजार दर के आधार पर मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया है, जो सही होकर नियमानुसार है। अतः आर्बिटेशन प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने योग्य है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आर्बिटेशन की परिधि में नहीं आने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है, प्रार्थी ने तथ्यों को छुपा कर उक्त प्रार्थना पत्र पेश किया है। प्रार्थी जिस भूमि का प्रार्थना पत्र लेकर पेश हुआ है, उक्त आराजी भूमि का गजट प्रकाशन नियमानुसार अवार्ड पारित होकर उक्त आराजी के मुआवजे का नियमानुसार अवार्ड जारी होने की दिनांक से जमा करा दिया गया, जो कि प्रार्थी के हित के अनुरूप उक्त जमा मुआवजा को पाने की अधिकारी है तथा जिस कारण उक्त आराजी का मुआवजा जारी होने से उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। अवार्ड में स्पष्ट उल्लेखित है कि धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत धारा 3–क की अधिसूचना के गजट प्रकाशन की दिनांक 08–09–2012 को प्रचलित बाजार दरों की सूचना उप पंजीयकों से मंगवाई गई है। डीएलसी दरें का तात्पर्य जिला स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य से है, इसी कारण अवाप्ताधीन भूमि एन. एच. पर स्थित को मान कर प्राप्त डीएलसी की दर से मुआवजा निर्धारण किया गया है। जो सही है। इसके अतिरिक्त For determination of Market value of large track of land for Acquisation, value of small plots is not applicable. AIR 1989 P & H 27 Hukum chand V. Hariyana State में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया है। अतः यदि कोई प्लॉट (small of Land plote) आता है तो उसका निर्धारण पुरे ट्रेक पर स्थित भूमियों के अनुरूप किया जाएगा। जिससे उक्त प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के तहत अधिग्रहित की गई है, उक्त अधिग्रहित कार्यवाही पर Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 के प्रावधान लागू नहीं होते हैं, चुंकि उक्त भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 की धारा 3 क की उप धारा (1) के अधीन भूमि अवाप्ति की अधिसूचना दिनांक 08–09–2012 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई तथा जिला नगर परिषद् के 15 किमी परिधि में होने वाले अधिग्रहित भूमि पर दोगुना राशि व 100 प्रतिशत तोषण के प्रावधान लागु नहीं होते हैं। धारा 3(जी)(7)3 (A) के तहत अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान है, जो कि मुआवजे के अवार्ड जारी हो चुके हैं, जिससे प्रार्थना पत्र काबिल खारजी है। प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

भगवती प्रसाद
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा के पत्र दिनांक 14–05–2018 से प्रकरण में तथ्यात्मक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया कि, ग्राम बडगांव के आराजी नम्बर 702 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा में से 0.051 हैक्टेयर गौतम पिता होमला भील निवासी जानामेडी, बांसवाडा की रूपान्तरित आबादी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्ति हेतु भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित हुई हैं। इसमें से प्रार्थीया नीलू पटियात की क्रयशुदा रूपान्तरित आबादी भूमि 8551 वर्ग फीट में से 5500 वर्ग फीट राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 में अवाप्त हुई हैं। ग्राम बडगांव के मूल खसरा नम्बर 702 में से 0.051 हैक्टेयर किस्म आबादी भूमि का भारत के राजपत्र में गौतम पिता होमला भील निवासी जानामेडी, बांसवाडा के नाम अधिसूचना जारी होकर कृषि भूमि की दर से अवार्ड पारित हुआ हैं। अधिसूचित अवाप्त भूमि से प्रार्थीया की भूमि अतिरिक्त अवाप्त हुई हैं। प्रार्थीया नीलू पटियात की क्रयशुदा रूपान्तरित आबादी भूमि खसरा नम्बर 702 में से 5500 वर्ग फीट भूमि रूपान्तरित आबादी भूमि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 113 के अन्तर्गत अवाप्त हुई है। तहसीलदार बांसवाडा की रिपोर्ट मुताबिक पारित अवार्ड के अतिरिक्त मौके पर एलाईमेन्ट अनुसार प्राथीयां की भूमि अवाप्त होने से मुआवजा राशि का चैक जारी नहीं हुआ हैं। उक्त अवाप्तशुदा भूमि के अतिरिक्त मौके पर भूमि अवाप्त होने से चैक जारी नहीं किया जाने से प्रार्थीया को मुआवजा राशि का भुगतान नहीं किया जा सका। केन्द्र सरकार द्वारा जारी गजट नोटिफिकेशन अधिसूचना संख्या 2112 (अ) नई दिल्ली 8 सितम्बर 2012 को समाचार पत्र में प्रकाशित अधिसूचना एवं राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी की अधिसूचना दिनांक 23.08.2013 को समाचार पत्र मे प्रकाशित अधिसूचना के बजाय राजस्व ग्राम बडगांव का आराजी नम्बर 702 रकबा 1 बीधा 2 बिस्वा गौतम पिता होमला कटारा जाति भील, निवासी जामामेडी तहसील बांसवाडा की कृषि भूमि कार्यालय विहित प्राधिकारी अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा के संपरिवर्तन आदेश क्रमांक राज/2006/8021–26 दिनांक 08.07.2011 द्वारा कृषि से आवासीय प्रयोजनार्थ रूपान्तरित भूमि में से 0.051 हैक्टेयर अवाप्त हुई हैं। संपरिर्वतन गजट नोटिफिकेशन के पूर्व हुआ हैं। प्रार्थीया नीलू पटियात ने अधिसूचना जारी होने से पूर्व दिनांक 11.08.2011 व 17–08–2011 से दो भूखण्ड कुल 8551 वर्ग फीट जरिये रजिस्ट्री खातेदार गौतम पिता होमला भील से क्रय किया हैं। जिसमें से सडक निर्माण के पश्चात् एलाईमेन्ट अनुसार तहसीलदार बांसवाडा की रिपोर्ट मुताबिक 5500 वर्ग फीट भूमि अवाप्त हुई हैं। ग्राम बडगांव के खसरा नम्बर 702 में से 0.05 हैक्टेयर के पारित अवार्ड के अतिरिक्त प्रार्थीया की भूमि 5500 वर्ग फीट अवाप्त हुई हैं। जिसका सीधे क्रय पद्धति से रू. 12,37,500/– (अक्षरे बारह लाख सैतीस हजार पांच सौ रूपया मात्र) मुआवजा राशि बनती हैं। ग्राम बडगांव में अधिसूचित खसरा नम्बर 702 में अतिरिक्त भूमि अवाप्त होने से इस कार्यालय के पत्रांक : राजस्व/रा.रा./2018/916 दिनांक 24–03–2018 द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता एवं परियोजना निदेशक, सा.नि.वि.रा.रा. (विश्व बैंक) बांसवाडा के संयुक्त हस्ताक्षर से पारित अवार्ड के अतिरिक्त सूची तैयार की गई हैं। यह विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत होने से सहायता राशि (माईक्रो–प्लान)

R&R का निर्धारण राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा नियुक्त स्वयं सेवी संस्था (NGO) द्वारा किया जाता हैं।

दिनांक 17–05–2018 को उभयपक्ष के विद्वान अभिभाषकगणों की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता, प्रार्थीपक्ष ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि The National Highways Act 1956 के न्यायिक दृष्टांत के साथ ही सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप अवाप्तशुदा आवासीय भूमि की मुआवजा राशि दिलाई जाने निवेदन किया। साथ ही अवाप्ति से शेष रही प्रार्थी की भूमि, जो प्रार्थी के लिए अब अनुपयोगी हो चुकी है, का भी नियमानुसार मुआवजा निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करने हेतु निवेदन किया।

विपक्षी संख्या एक की ओर से विद्वान अभिभाषक द्वारा जवाव प्रार्थना पत्र में उल्लेखित बिन्दुओं को दोहराते हुए धारा 3–जी (7)(ए) के तहत् अधिसूचना की दिनांक को प्रचलित बाजार मूल्य के आधार पर मुआवजा निर्धारण का प्रावधान हैं, जो मुआवजा पूर्व में जारी हो चुका है, जिससे प्रार्थना पत्र निरस्त करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनता से अध्ययन किया। पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखों एवं प्रार्थीपक्ष द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांतों का अवलोकन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग में प्रार्थीया की आवासीय भूमि अवाप्त की गई है, सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति) उपखण्ड अधिकारी, बांसवाड़ा ने भी अपने जवाब में स्पष्ट उल्लेख किया है कि गलत खसरा नं0 श्री सरकार भूमि का गलत गजट नोटिफिकेशन प्रकाशित होने एवं गलत अवार्ड पारित होने से प्रार्थीगण को मुआवजा राशि उपलब्ध नहीं करवाई गई है।

अतः उक्त तथ्यों के प्रकाश में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाडा को निर्देशित किया जाता है कि उक्त प्रश्नगत आवासीय भूमि का नियमानुसार मुआवजा राशि का निर्धारण किया जाकर अवार्ड जारी करावें। इसके साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम एवं इससे सम्बद्ध निर्धारित किए गए प्रावधानों के अनुरूप सहायता राशि की गणना राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के माध्यम से करवाई जाकर प्रार्थी को अवार्ड एवं सहायता राशि का भुगतान कराया जावे। विपक्षी संख्या 1 भारत संघ द्वारा परियोजना निदेशक, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राजमार्ग सं.113, बांसवाडा (राज.) को निर्देशित किया जाता है अवार्ड के आधार निर्धारित प्रावधानों के अनुसार प्रार्थी को भुगतान कराया जावे।

निर्णय आज दिनांक 17–05–2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भगवती प्रसाद)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा

DM Decision 2016.doc